उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1
संख्या : 1/2024/1602/94-1-2023-312(113)/2023
लखनऊ, दिनांक : 04 जनवरी, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से-

(1) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करके जिला मैनपुरी में एक नया निबन्धन उप जिला ''घिरोर'' सृजित करती हैं, तथा

(2) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुए जिला मैनपुरी के निबन्धन उप जिला 'मैनपुरी एवं करहल' की सीमायें परिवर्तित करती हैं।

अनुसूची

जिला मैनपुरी के निबन्धन उप जिला 'मैनपुरी एवं करहल' से अपवर्जित किये गये एवं नव सृजित निबन्धन उप जिला ''घिरोर'' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची-

1	औरंगाबाद	2	शहजादपुर	3	अहमदपुर	4	उसनीधा
5	हाजीपुर	6	कोठिया	7	नगला मांझ	8	नाहिल कठेगरा
9	अचलपुर	10	बालमपुर	11	गढिया सकत	12	गुराई
13	नगला मिन्ते	14	नगला देवी	15	रमपुरा	16	अकबरपुर औंछा
17	बुढर्रा	18	नीलकंठपुर	19	नगला सलेही	20	नगला महानन्द
21	चीतई	22	पडरिया	23	नगला सावज	24	देवपुरा
25	तिसाह	26	नसीरपुर	27	मधन	28	नगला कंचन
29	नगला अमरसिंह	30	विक्रमपुर	31	पचावर	32	कनेगी
33	बादशाहपुर	34	धौरासी	35	नगला इन्द्र	36	दारापुर
37	लोहवल खेड़ा	38	नगला पुनू	39	भुगाई	40	हडाई
41	कुरावली	42	गढिया खास	43	फैजपुर	44	नगला रामा
45	ओय	46	हिम्मतपुर हडाई	47	शाहजहॉपुर	48	नगला फतेखां
49	बमरौली	50	कोसोन	51	नाहिली	52	घिरोर खास
53	मुहम्मदपुर घिरोर	54	ताहरपुर	55	गोधना	56	हिम्मतपुर उजियारी
57	लपगवाँ	58	कल्होर पछां	59	कल्होर पुवां	60	विघरई
61	महटौली	62	दन्नाहार	63	भटानी	64	दरवाह
65	बम्होरी अवाहार	66	कोसमा मुसलमीन	67	फाजिलपुर	68	कोसमा हिनूद
69	कैरावली	70	अम्बरपुर	71	अटाहरैना	72	पहाडपुर
73	कारूखेडा	74	बीनेपुर	75	इस्माइलपुर	76	अब्दुल नवीपुर
77	डालूपुर	78	नगला मानधाता	79	मढामई	80	सराय मुगलपुर
81	हाजीपुर नेरा	82	बलपुरा	83	बहसी	84	कनिकपुर खिजरपुर
85	सजावारपुर	86	रहमतुल्लापुर				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2024/1602/94-1-2023-312(113)/2023 दिनांक : 04 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 04 जनवरी, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-1/2024/1602/94-1-2023-312(113)/2023 दिनांक : 04 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र० कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, मैनपुरी।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, मैनपुरी।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, आगरा मण्डल, आगरा।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मैनपुरी।
12. विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1/2024/1602/94-1-2023-312(113)/2023, dated 04 January, 2024

Notification

No. 1/2024/1602/94-1-2023-312(113)/2023
Lucknow; Dated : 04 January, 2024

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette is pleased to,-

(1) create a new registration sub-district "Ghiror" in district Mainpuri by including revenue villages given in the Schedule below, and

(2) alter the limits of registration sub-district 'Mainpuri and Karhal' of district Mainpuri by excluding the areas of revenue villages given in the said Schedule below,

Schedule

List of villages excluded from the registration sub-districts 'Mainpuri and Karhal' of district Mainpuri and included in the newly created registration sub-district "Ghiror"-

1	Aurangabad	2	Shahjadpur	3	Ahamadpur	4	Usneedha
5	Hajipur	6	Kothiya	7	Nagla Manjh	8	Nahil Kathengra
9	Achalpur	10	Balampur	11	Gadiya Sakat	12	Gurai
13	Nagla Minte	14	Nagla Devi	15	Rampura	16	Akbarpur Aunchha
17	Budharra	18	Neelkanthpur	19	Nagla Salehi	20	Nagla Mahanand
21	Cheetai	22	Padariya	23	Nagla Sawaj	24	Devpura
25	Tisah	26	Nasirpur	27	Madhan	28	Nagla kanchan
29	Nagla Amar Singh	30	Vikrampur	31	Pachawar	32	Kanegi
33	Badshahpur	34	Dhaurasi	35	Nagla Indra	36	Darapur
37	Lohwal Kheda	38	Nagla Punu	39	Bhugai	40	Hadai
41	Kurawali	42	Gadia Khas	43	Faijpur	44	Nagla Rama
45	Oay	46	Himmatpur Hadai	47	Shahjahanpur	48	Nagla Fattehkhan
49	Bamrauli	50	Koson	51	Nahili	52	Ghiror Khas
53	Mohammadpur Ghiror	54	Taharpur	55	Godhana	56	Himmatpur Ujiyari
57	Lapgawan	58	Kalhor Pachhan	59	Kalhor Puwan	60	Vighrai
61	Mahtauli	62	Dannahar	63	Bhatani	64	Darwah
65	Bamhori Awahar	66	Kosma Musalmeen	67	Fajilpur	68	Kosama Hinood
69	Kairawali	70	Amberpur	71	Ataharaina	72	Pahadpur
73	Karukheda	74	Beenepur	75	Eshmailpur	76	Abdulnavipur
77	Dalupur	78	Nagla Mandhata	79	Madhamai	80	Sarai Mugalpur
81	Hajipur nera	82	Balpura	83	Bahashi	84	Kanikpur Khijarpur
85	Sajawarpur	86	Rahamatullapur				

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।